

न्यायालय तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 11/2026 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी हल्का झांफलीकलां।

हैदर पुत्र मांघल
जाति मुसलमान निवासी नेगरड़ा।

“निर्णय”

दिनांक:- 15.05.2026

पत्रावली आज बमुकाम शिव में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झांफलीकलां ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा नेगरड़ा के खसरा नं 362/330 रकबा 8.3932 हैक्टेयर भूमि में से 0.0010 हैक्टेयर किस्म बाराणी सोयम राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित होने पर पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.निरीक्षक जांच अनुसार अतिक्रमण किया हुआ पाया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.06 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 6.00 पूर्णांक में 6.00 अक्षरे छः रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत गूंगा को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल/सामग्री को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर नीलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15.05.2026 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार शिव
तहसीलदार शिव
जिला-बाड़मेर